न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—479/2015 (2015/00308)223/सरवाड़

1. किशना पुत्र उगमा उम्र 55 वर्ष जाति नायक निवासी शोकलिया तहसील टाटोटी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. **देवी पुत्र उगमा**
2. **श्रीमती लाली पत्नी उमराव**
3. **श्रीमती मोमिया पत्नी लाला राम**
4. **हीरा पुत्र उगमा समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम शोकलिया तहसील टाटोटी जिला अजमेर।**
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़।**

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2015, वाद संख्या 30/2008 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपस्थितः—

1. श्री हीरालाल माली एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री करण सिंह एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01से03 की ओर से ।
3. श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 19.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा वाद संख्या 30/2008 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाथी के द्वारा राजस्व खाता संख्या 239 के खसरा नम्बर 160 रकबा 08—09—00, खसरा नम्बर 828 रकबा 10—11—00, खसरा नम्बर 845 रकबा 13—01—00 तथा खाता संख्या 301 के खसरा नम्बर 301 रकबा 09—03—00 कुल किता 4 कुल रकबा 41—04—00 बीघा जो कि ग्राम शोकलिया तहसील सरवाड़ (टाटोटी) में स्थित हैं के संदर्भ में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209, 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं परफोर्मा प्रतिवाद संख्या 05 उक्त आराजी के संयुक्त मालिक एवं स्वामी है तथा वादवर्णित उक्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा हे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हैं तथा परफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा है और

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती आ रही है उसी अनुसार बंटवारा किया जावें किन्तु अधीनस्थ न्याालय ने पत्रावली तनकीया तमे विचाराधीन थी तथा राजस्व कैमप दिनांक 25.05.2015 को बिना अपीलार्थी की सुनवाई किये आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी को सभी खसरा नम्बरान में 1/3 हिस्सा देने का आश्वासन दिया था किन्तु खसरा नम्बर 845 सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के नाम बंटवारे में दे दिया जो कि नसीराबाद से कोटा मैन रोड़ पर अवस्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05. 2015 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय एवं अंतिम डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलार्थी अनपढ़ एवं देहात में रहने वाला है तथा अपीलार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को बुलाकर बंटवारे के बारे में नहीं समझाया गया। अपीलार्थी को सभी खसरा नम्बरान में 1/3 हिस्सा देने का आश्वासन दिया था किन्तु खसरा नम्बर 845 सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के नाम बंटवारे में दे दिया जो कि नसीराबाद से कोटा मैन रोड़ पर अवस्थित हैं। अपीलार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता भी नहीं दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2015 को पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 10.11.2015 को हुई जब अपीलार्थी खसरा नम्बर 845 में अपने 1/3 हिस्से पर हल जोतने गया, तब रेस्पोडेन्ट ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हैं तत्पश्चात अधिवक्ता के मार्फत नकले प्राप्त की और अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है जो जानकरी से अन्दर मियाद हैं। इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 25.05.2015 को ही कैम्प में तैयार की गई, जो त्रुटिपूर्ण हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। मान्नीय मण्डल के नियमानुसार विवादित आराजी पर तहसीलदार द्धारा दोनो पक्षों को प्रापर नोटिस देकर एवं दोनो पक्षों की उपस्थिति में कब्जे एवं मौके के आधार पर ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोड़ के पास वाली भूमि खसरा नम्बर 845 जो की मंहगी हैं वो बंटवारा में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दी है जिन पर उनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2015 को निरस्त किया जाकर एवं प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावें की वे मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करवायें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे. (24)2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के बंटवारे के समय अपीलांट स्वंय उपस्थित था तथा मौके पर पर्चा रिपोर्ट जो तैयार की गई उसमें अपीलांट स्वंय सहमत था तथा अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर हैं इस प्रकार अपीलांट का यह कथन की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा डिक्री में उनकी सहमति नहीं थी फिर भी अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो गलत हैं। अपीलांट को अपने खेत खसरा नम्बर पर आने जाने हेतु रास्ता भी उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पर हिस्से अनुसार ही बंटवारा कर अंतिम डिक्री पारित की हैं जो विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट शोकलिया में अपीलांट स्वंय उपस्थित था तथा भूमि का बंटवारा पक्षकारान के कब्जे व हिस्से के अनुसार ही किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री पारित से कैम्प में सहमत था इसलिए सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई थी। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा यह कहना कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की पालना नहीं हुई गलत हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेन्ट के द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश नही किया गया एवम् ना ही उनके द्धारा काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि आदेशिका दिनांक 25.05.2015 में पत्रावली अटल सेवा केन्द्र शौकलिया पर पेश हुई और मोहर लगाकर पत्रावली दिनांक 23.07.2015 को पेश हों, अंकित किया गया हैं जिससे प्रतीत होता हैं कि प्रकरण में आपसी सहमति नहीं होने के कारण प्रकरण में आगामी पेशी दी गई और तत्पश्चात पुनश्चयः अंकित कर निर्णय व डिक्री लिखा गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट शौकलिया में जो निर्णय व डिक्री पारित

की हैं उसमें पक्षकारान की सहमति नहीं हुयी हैं तथा मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की पालना में नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अनुचित एवं गैर कानूनी प्रतीत होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त योग्य हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्याालय को मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की लार्जर बेंच 2017 आर.बी.जे. पेज 299 के निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकर की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, टाटोटी से कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त करके उचित कार्यवाही आगे कानूनी से करते हुए एवं दोनो पक्षों को सुनकर अपना निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करें। अपील फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

10. आदेश आज दिनाक 19.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर